**झारखण्ड सरकार**
**पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग**

संचिका संख्याः पर्य० / यो०–14 / 2018 ....415..... / दिनांकः 27-07-18

*संकल्प*

**विषयः** **कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले झारखण्डवासियों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में।**

भारत सरकार के सौजन्य से प्रत्येक वर्ष जून से सितम्बर माह में सैकड़ों तीर्थ यात्रीगण कैलाश मानसरोवर तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं। सनातन धर्म में कैलाश का अपना महत्व रहा है एवं यह आदि योगी देवाधिदेव महादेव शिव का निवास स्थान माना जाता है। समुद्र तल से लगभग 25000 फीट की ऊँचाई पर Trans Himalaya तिब्बत में काफी ऊँचे एवं ठण्डे स्थान पर अवस्थित होने के कारण यह तीर्थ यात्रा काफी कठिन एवं दुरूह है।

2. भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष यात्रा में शामिल होने वाले तीर्थ यात्रियों का निबंधन किया जाता है एवं चिकित्सीय जाँच के उपरान्त लॉटरी के माध्यम से यात्रियों का अंतिम चयन होता है।

3. कैलाश मानसरोवर की यात्रा में केवल भारत ही नहीं, अपितु अन्य देशों से भी श्रद्धालु पधारते हैं एवं यह हिन्दु धर्म के अतिरिक्त जैन एवं बौद्ध धर्म के भी धार्मिक महत्व का स्थल है।

4. भारत के कई राज्यों द्वारा उनके निवासियों को कैलाश मानसरोवर यात्रा के निमित्त अनुदान स्वरूप राशि उपलब्ध कराई जाती है, ताकि पर्यटन संवर्धन के साथ–साथ सांस्कृतिक धरोहरों का साक्षात्कार भी उन्हें कराया जा सके।

5. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली आर्थिक सुविधाओं के प्रकार, अधिकतम राशि, कुल संख्या, पात्रता, प्रक्रिया, आवश्यक कागजात एवं संबंधित प्राधिकार के बारे में पत्रांक 122 / 21 / 2015–KMY दिनांक 09.11.15 द्वारा सूचना की मांग की गई है।

6. यद्यपि झारखण्ड से कैलाश मानसरोवर तीर्थ पर जानेवाले यात्रियों की संख्या की आधिकारिक सूचना उपलब्ध नहीं है, तथापि झारखण्ड से मानसरोवर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की अनुमानित संख्या प्रतिवर्ष लगभग 500 है। राज्य सरकार को यह सूचना प्राप्त हो रही है कि कई इच्छुक तीर्थ यात्री धनराशि के अभाव में इस यात्रा पर जाने में अपनी असमर्थता महसूस कर रहे हैं। अतः ऐसे तीर्थ यात्रियों को राज्य सरकार की ओर से अनुदान स्वरूप राशि देने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि मानसरोवर की यात्रा करनेवाले झारखण्ड निवासी को 1.00 लाख रूपये की राशि उपलब्ध करायी जायेगी। यह राशि प्राप्त करने के लिए पात्रता का निर्धारण निम्न रूपेण होगाः–

(i) अनुदान भारत सरकार के द्वारा यात्रा में सम्मिलित होने वाले यात्रियों के अतिरिक्त अपने व्यक्तिगत स्रोतों से यथा निजी यात्रा प्राधिकार के माध्यम से यात्रा पूर्ण करने वाले यात्रियों को भी देय होगा।

(ii) अनुदान की धनराशि यात्रा समाप्ति के पश्चात प्रदान की जायेगी।

(iii) जीवनकाल में किसी यात्री को एक बार ही अनुदान देय होगा।

(iv) एक परिवार के अधिकतम दो सदस्यों को ही अनुदान अनुमान्य होगा।

JHARKHAND TOURISM DEV. CORP. LTD. RANCHI Letter No. 1209/18 Date 6.08.18

(v) अनुदान हेतु यात्रियों का चयन आधार कार्ड, मकान का Holding Tax या बिजली बिल का भुगतान पत्र, पासपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति, राशन कार्ड, फोटो परिचय पत्र तथा नेपाल से चीन में प्रवेश एवं चीन से नेपाल में प्रवेश से संबंधित पासपोर्ट का immigration प्रमाण पत्र एवं मानसरोवर परमिट तथा मानसरोवर वीजा के प्रमाण पत्र के अनुसार पहले आओ – पहले पाओ (First Come - First Serve) के आधार पर किया जायेगा।

(vi) तीर्थ यात्रियों को देय सहायता राशि की सम्पूर्ण धनराशि झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के खाते में रखी जायेगी।

(vii) आवेदन पत्रों की प्राप्ति, संवीक्षा कर पात्रों के चयन का दायित्व प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का होगा जो समिति गठित कर इसका निष्पादन करेंगे एवं आवेदकों को उनके बैंक खाते में ऑनलाईन राशि उपलब्ध करायेंगे।

(viii) अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक यात्री, यात्रा पूर्ण करने के उपरान्त यात्रा पूर्णता प्रमाण पत्र प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को उपलब्ध करायेंगे, जो इसे विभागीय सचिव के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसी यात्रा पूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर कोषागार से राशि की निकासी की जाएगी।

(ix) यह राशि वित्तीय वर्ष 2018–19 में भी की गई यात्रा तथा भविष्य में की जानेवाली यात्राओं के लिए देय होगी।

7. **आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप**

आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किये जानेवाले प्रपत्र का निर्धारण प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड की अनुमोदन के पश्चात् किया जायगा।

**आदेशः** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधरण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

Manil Raj
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः 415 राँची, दिनांकः 27.07.18

प्रतिलिपिः महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकरी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Manil Raj
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः 415 राँची, दिनांकः 27.07.18

प्रतिलिपिः माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव/ सभी प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड, राँची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/निदेशक, पर्यटन, पर्यटन निदेशाल/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Manil Raj
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः 415 राँची, दिनांकः 27.07.18

प्रतिलिपिः अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Manil Raj
सरकार के सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

# झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि०

(झारखण्ड सरकार का उपक्रम)

5, महात्मा गाँधी मार्ग, राँची–834001

फोन–0651–2331828, फैक्स–0651–2331828, ई–मेल–jtdcltd@gmail.com


**पत्रांक : 704 / 2018** **दिनांक : 14.08.2018**

पर्यटन, कला संस्कृति, खेल–कूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–पर्य० / यो०–14 / 2018–415 दिनांक 27.07.2018 के आलोक में मानसरोवर की यात्रा करने वाले झारखण्ड निवासी को 1.00 (एक) लाख रूपये की राशि की आर्थिक सहायता पहले आओ–पहले पाओ (First come-First Served) के आधार पर देने का निर्णय लिया गया है। उक्त निमित आवेदन हेतु प्रपत्र निम्न प्रकार है :–

## ''कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा अनुदान आवेदन पत्र''

**PHOTO**

1. आवेदक का नाम–
2. पिता / माता / पति का नाम–
3. उम्र–
4. निवास– (निवास के साक्ष्य हेतु पासपोर्ट एवं आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें)
5. पासपोर्ट संख्या–
6. आधार संख्या–
7. यात्रा प्रारंभ की तिथि
8. यात्रा पूर्ण करने की तिथि–
9. नेपाल से चीन में प्रवेश एवं चीन से नेपाल वापस आगमन से संबंधित Immigration प्रमाण पत्र मानसरोवर परमिट / मानसरोवर बीजा की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
10. आवेदक के बैंक खाता का विवरणी–

    (क) बैंक का नाम–

    (ख) खाता संख्या–

    (ग) IFSC Code-
11. आवेदक का प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत स्वघोषणा प्रमाण पत्र कि उनके द्वारा जीवन में प्रथम बार कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के अनुदान हेतु आवेदन दिया जा रहा है एवं उनके परिवार के अधिकतम दो सदस्य द्वारा ही अनुदान का आवेदन किया गया है संलग्न करें।

    (यह अनुदान वित्तिय वर्ष 2018–19 एवं उसके पश्चात् की गई यात्रा हेतु अनुमान्य है)
12. आवेदक द्वारा यात्रा पूर्णता प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा।

**आवेदक का हस्ताक्षर**

नोट :– यात्रा पूर्ण करने के एक माह के अन्दर उपर्युक्त आवेदन को झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि० के पंजीकृत कार्यालय, Tourist complex (पर्यटन भवन), 5, महात्मा गाँधी मार्ग, राँची–834001 में निवंधित डाक से समर्पित करना अनिवार्य होगा। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी पर्यटन विभाग के Web Site : www.jharkhandtourism.gov.in पर प्राप्त किया जा सकता है।